रजि. सं. डी. (डी. एल.)-12 REGISTERED No. D (D L)-12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 469] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 1986/आश्विन 11, 1908
No. 469] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 1986/ASVINA 11, 1908

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1986

अधिसूचनाएं

सा.का.नि. 1129 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में कर्नाटक सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 6 अक्तूबर, 1986 से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण की एतद्द्वारा स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के खण्ड 3 की धारा (ग) के प्रयोजन से "नियत दिन" होगा।

[सं. ए-11019/26/86-ए.डी.]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 3rd October, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 1129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government on receipt of a request in this behalf from the Government of Karnataka, hereby establishes the Karnataka Administrative Tribunal with effect from the 6th day of October, 1986 which shall be the 'appointed day' within the meaning of clause (c) of section 3 of the Act.

[No. A-11019/26/86-AT]

सा.का.नि. 1130 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है;